कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

पत्रांकः संख्या–32 / तेरह–आ0प्र0 / विज्ञप्ति / 2016 दिनांक 11 जनवरी, 2016

प्रेषित,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
(एन0आई0सी0), पिथौरागढ़।

विषय : **स्वैच्छिक संगठनों से रूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण की विज्ञप्ति को जनपद पिथौरागढ़ की NIC वेबसाइट www.pithoragarh.nic.in में आपदा प्रबन्धन–रूचि की अभिव्यक्ति Disaster Manegement, Expression of Intrest नाम से अपलोड करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, पिथौरागढ़ द्वारा स्वैच्छिक संगठनों से रूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण की विज्ञप्ति को जनपद पिथौरागढ़ की NIC वेबसाइट www.pithoragarh.nic.in में आपदा प्रबन्धन–रूचि की अभिव्यक्ति Disaster Manegement, Expression of Intrest नाम से अपलोड करने के सम्बन्ध में।

संलग्न–विज्ञप्ति।

11/01/16

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

प्रतिलिपि–

1. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी, पिथौरागढ़ सूचनार्थ।

11/01/16.

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
जिला–पिथौरागढ
सम्पर्कनं0–05964–226326,228050,टोल फ्री–1077 ईमेल–ddmapithoragarh@gmail.com

स्वैछिक संगठनों से रूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

जनपद पिथौरागढ़ के समस्त तहसीलों/विकासखण्डों के प्रत्येक ग्राम एवं स्कूलों में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण, जन जागरूकता और मॉकड्रिल–अभ्यास करवाने तथा ग्राम एवं स्कूलों की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाऐं तैयार करने आदि कार्यो हेतु जनपद पिथौरागढ़ में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों/संस्थाऐं जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हों, जिनके पास आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यो का कम से कम 02 वर्षो का अनुभव हो तथा उपरोक्त कार्यो हेतु 04 प्रशिक्षित और अनुभवी मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण जनजागरूकता में सहायक उपकरण आदि उपलब्ध हों, से रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव जनपद की प्रत्येक तहसील/विकासखण्ड हेतु पृथक–पृथक आमंत्रित किये जाते हैं। एक स्वैच्छिक संगठन को मात्र एक तहसील/विकासखण्ड ही आवंटित किया जायेगा। अतः प्रत्येक तहसील/विकासखण्ड हेतु पृथक–पृथक रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

उपरोक्त विषय पर रूचि की अभिव्यक्ति हेतु जानकारियों एवं प्रपत्र जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पिथौरागढ़ के कार्यालय से दिनांक 16.01.2016 को सायं 3.00 बजे तक प्राप्त कर 5.00 बजे तक जमा किये जा सकते है, अथवा जनपद की NIC वैवसाईट www.pithoragarh.nic.in में आपदा प्रबन्धन–रूचि की अभिव्यक्ति Disaster Manegement, Expression of Intrest से डाउनलोड की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार गैरसरकारी संस्थाऐं/संगठन निम्नलिखित विवरणों को संलग्न करते हुये रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्तुतीकरण हेतु निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों/प्रपत्रों तथा 4 प्रशिक्षकों सहित दिनांक 18.01.2016 को 11.00 AM पर जिला कार्यालय पिथौरागढ़ में चयन एवं समन्वयन समिति के समक्ष उपस्थित होंगे। संस्थाओं के चयन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज एवं शर्तें आवश्यक होंगी।

1. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक है।
2. विगत 03 वर्षो के कार्यो की ऑडिटेट रिपोर्ट आवश्यक है।
3. स्वैछिक संगठन का आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण सम्बन्धी अभ्यास एवं जनजागरूकता आदि के क्षेत्र में किये गये कार्यों का न्यूनतम 02 वर्षो का अनुभव संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
4. 01 स्वैछिक संगठन मात्र एक तहसील अथवा विकासखण्ड में ही कार्य कर सकेगा। इस हेतु इच्छुक तहसील/विकासखण्ड का नाम दिया जाना अनिवार्य है।
5. स्वैछिक संगठनों द्वारा अपने पास उपलब्ध विषय 04 प्रशिक्षकों को जो आपदा प्रबन्धन, विद्यालय स्तरीय मॉकड्रिल, जनजागरूकता, भूकम्प सुरक्षित निर्माण, प्राथमिक चिकित्सा आदि विषयों पर प्रशिक्षित हों को शैक्षिक एवं कार्य अनुभव के प्रमाण पत्रों सहित प्रस्तुतीकरण कराया जायेगा तथा संस्था के पास उपलब्ध प्रशिक्षण, जनजागरूकता हेतु आवश्यक उपकरण जैसे कम्प्यूटर, लैपटोप, ऑडियो विजुवल ऐड्स आदि का विवरण भी दिया जायेगा।
6. स्वैछिक संगठनों के पास रू0 05 लाख प्रतिवर्ष की कार्ययोजनाओं के वित्तीय क्रियान्वयन का अनुभव हो तथा सरकारी एवं अन्य वितिीय संथाओं से प्रदत्त सहायता से संचालित कार्यो का अनुभव हो संलग्न किया जाय।।
7. ऐसे गैर सरकारी स्वैछिक संगठन जिन्होंने जनपद आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में अथवा आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन केन्द्र या अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ पूर्व में कार्य किया हो को प्राथमिकता दी जा सकती है इस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न किये जाये।
8. सभी प्रकार के प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की छाया प्रतियॉ हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित हों।
9. स्वैच्छिक संगठनों के चयन हेतु गठित समिति का निर्णय अनन्तिम होगा।

उपरोक्त विषय पर संस्थाऐं अपनी रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव एवं 04 प्रशिक्षकों एवं दस्तावेजों सहित जिला कार्यालय सभागार में दिनांक 18.01.2016 प्रातः 11.00 PM बजे से चयन एवं समन्वयन समिति के सम्मुख प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित रहेंगे। उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTERESTFOR APPOINTING NGOs

DISTRICT DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY.....

ASSIGNMENT TITLE: APPOINTMENT OF NON -GOVERNMENT ORGANIZATIONS FOR TRAINING OF SEARCH & RESCUE/FIRST AID/ CONDUCTING MOCKDRILLS AND ORGANIZING SENSITIZATION PROGRAMS AT SCHOOL/VILLAGE/BLOCK/ULB /DISTRICT AND STATE LEVEL

Reference No.:--------/ Date:

It is proven, practiced and learned that disaster prevention and preparedness start from the community. Disaster risks are increasing day by day hence the environmental, social and economic losses are also amplified. Rapid and unplanned urbanization, concentration of migrated population at small towns on road sides in hills, unsafe construction practices, lack of proper drainage system, excessive and unscientific practices adopted in slope cutting for laying roads, pathetic condition of medical care in rural/ small towns/peri-urban areas, untrained human resource and above all non-seriousness and sluggish approach towards disaster management are critical and precarious risks which could be shaped into unprecedented disaster at any point of time.

The marginal and deprived section of the society is always be sufferer and badly affected in any disaster. They mostly do not have resources to recover social and economical lossescaused by disaster. Awareness, small trainings courses, mock-drills, do's and don'ts and sensitization about of role of community in disastrous situation are some of the key significant elements must be known to the every section of community for becoming disaster resilient society.

Volunteerism and community based movements have remained intrinsic to the social fabric of our country and have helped sustain communities through times of crisis. The role of NGOs remains crucial in all phases of disaster management namely relief, response, rehabilitation, reconstruction, recovery, preparedness and mitigation. Recent trends with respect to management of natural disasters have highlighted the role of Non-Governmental Organizations (NGOs) as a vital stakeholder in the relief and response efforts especially with respect to facilitating communication and coordination between the administration and the affected community. NGOs have grass-root presence and strong linkages with the communities, and can readily respond to the needs of the affected community.

In view of above, District Disaster Management Authority----------, Government of Uttarakhand willing to appoint experienced Non-Government Organizations at Tehsil level for disaster preparedness activities. The Scope of work broadly described below:

A. Capacity building: Build the capacities of the community (Disaster Management Committees & Taskforces) and other government officials at district to undertake activities in various thematic areas like search & rescue training, first aid training, mockdrillsetc which will result in the integration of the same in the Disaster Management or other departmental plans and may also facilitate preparation of the Plans by involving the local communities and the Panchayat Raj Institutions.

B. Knowledge Management: Generating awareness, conducting sensitization programs building capacity on Disaster Management at various levels

Interested NGOs should provide information demonstrating that they have the relevant experience in disaster mitigation and preparedness activities. The NGO is expected to submit the "Expression of Interest for Appointment "accompanied with the profile of organisation, experience including details of their experience in similar assignments/training works/mockdrills exercises/awareness campaign and human resource strength, etc. The shortlisting criteria are

1. The NGO must be registered under Society Registration Act, 1860.
2. The NGO should have last three years audited balance sheet signed by Authorised signatory of the Organization.
3. The NGOshould have at least 2 year experiencein providing Disaster Preparedness Training/ Conducting Mockdrill Exercises for major Hazards, Organizing Awareness Campaign at village/block/district/state level;
4. The NGOshould have prior working experience in similar Tehsil/Block/District;
5. The NGOshould demonstrate that they have enough capacity (including trained training personnel/training facility/training material etc)to complete the disaster preparedness& mitigation activities
6. The NGOshould have experienced of handling projects having Financial Contribution/ Financial Grants/Financial Assistance atleast INR 5.00lakh in any year in last three years from any Government/External Aided Funding Organizations/National/International Charitable Organizations.
7. Experience in working in Disaster Management area or in association with District Disaster Management Authority or Disaster Mitigation and Management Centre or any other Government agencies will be an added advantage.

Expressions of interest (EOI) must include the following (apart from the details asked in annexure 1):

- Introductory letter on letter head (with complete contact details – name of contact person, mailing address, telephone, fax, email etc) explaining how the NOG is best to deliver the task.
- Organization profile.
- Two years annual report (FY 2013-14 and FY 2014-15) and last 3 years audited financial statement duly signed and attested by Authorised Signatory.
- Short note on the similar projects implemented by the NGOpertaining to the shortlisting criteria.
- The EOI should contain sufficient supporting document to substantiate the claim of the NGO towards their qualification as per the shortlisting criteria.
- All the documents must be signed by Authorised Signatory.
- Certified copy of Award/Appreciation Certificate by State Government/Central Government/Multilateral Funding Agency if any.

Further information can be obtained at the address below during office hours between 1000 hours to 1700 hours.Expression of Interest for Empanelment must be delivered in a written form to the address below (in person, or by postal mail) by ----------upto 1700 hours to:

District Magistrate/ Chairman
District Disaster Management Authority
Name of the District ..
Phone numbers....
Mail IDs.....

Annexure I

STRUCTURED QUESTIONNAIRE FOR APPOINTING NGOS
(TO BE SUBMITTED ALONG WITH EOI)

General Particulars of NGO

Name of the NGO	
Registered Address	
Phone No:	
Email id:	
Name of the Contact Person for this EOI	
Phone no. of the Contact person for this EOI	
Email id of the Contact person for this EOI	
Branch offices if any	
Date of NGO establishment	
Number of full time partners Fellow Associate	
Number of full time qualified staff	
Number of other staff who are semi qualified/unqualified	

Financial Particulars of the NGO

Financial Year	Grants/Financial Assistance Received for Disaster Management Preparedness activities	Grants/Financialfor otherActivities	Total Grant
2012– 2013			
2013- 2014			
2014– 2015			

Full Time Qualified Staff Brief Profile

Name of Staff/M. No.	Age	Years of experience	Qualification	Number of Years associated with the NGO (post qualification)	Brief nature of work done

Other Staff Brief Profile

Name of Staff	Age	Years of Experience	Qualifications	Number of Years Associated with the firm	Assignments where the staff has worked with year

Relevant assignments – Last five years

Name of Project	(1) Funded by Multilateral / Bilateral funding agency; (2) Funded by State or Central Government under government projects Or (3) Funded under CSR. Please specify 1, 2, 3	Client Name	Nature of Work	Year of Work Done	Partner	Project Expenditure	Grant Amount

सचिव, आपदा प्रबन्धन व पुनर्वास/कार्यक्रम निदेशक, कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई, उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 604/PIU/TA&CBDRM/UDRP-2015 दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 जो ग्राम स्तर तथा विद्यालय स्तर पर आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनजागरूकता अभियान तथा आपदा प्रबन्धन कार्य–योजनाऐं विकसित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश

1. समस्त जनपदों में ग्राम स्तर तथा विद्यालय स्तर पर आपदा प्रबन्धन हेतु पूर्व तैयारी व जन जागरूकता अभियान चलाया जाए जिस हेतु जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक तहसील स्तर पर स्थानीय गैर सरकारी संगठनों का चयन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. ग्राम स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम 3 दिवसीय किया जाएगा जिसमें Audio Visual के माध्यम से विभिन्न आपदाओं की जानकारी, खोज व बचाव तथा प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण तथा ग्राम आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना विकसित किये जाने का कार्य किया जाएगाा। विद्यालय स्तर पर 2 दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें प्रथम दिवस आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी जानकारी, विद्यालय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के सम्बन्ध में Audio Visual माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी तथा द्वितीय दिवस विद्यालय स्तर पर Mock Drill का आयोजन किया जाएगा।

3. जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा ग्राम स्तरीय व विद्यालय स्तरीय जन जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु तहसील स्तर पर गैर सरकारी संगठनों का चयन किया जाएगा जिसके माध्यम से 4 प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाऐंगे जिनमें से 2 प्रशिक्षण ग्राम स्तरीय जन जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा 2 विद्यालय स्तरीय जन जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु नियुक्ति किये जाऐंगे। इस हेतु पृथक से धनराशि की व्यवस्था आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा की जायेगी।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम पश्चात ग्राम पंचायत 5 स्वयं सेवको (Volunteers) को नामित कर प्रशिक्षण टीम को उपलब्ध करायेगी जिनको 7 दिवसीय खोज बचाव तथा प्राथमिक चिकित्सा के गहन प्रशिक्षण हेतु न्याय पंचायत स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के मास्टर ट्रेनर के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा पूर्व में सलाये जा रहे कार्यक्रम का विस्तार होगा।

5. ग्राम स्तर पर किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में न्यूनतम 50 प्रतिभागियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी जिस हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम हेतू पूर्व सूचना जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा प्रेषित की जाएगी। इसी भांति विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण व Mock Drill कार्यक्रमों हेतु समस्त प्रधानाचार्यो को पूर्व सूचना जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा प्रेषित की जाएगी।

6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु लैपटॉप, प्रोजेक्टर, **Public Address System** आदि की व्यवस्था जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा चयनित स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से सूनिश्चित की जायेगी।

7. जनपद स्तर पर किये जाने वाले समस्त प्रशिक्षण, जन जागरूकता व Mock Drill कार्यक्रम हेतु जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सुचारू व सफल संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे। समस्त जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण की वीडियोंग्राफी, फोटोग्राफी, व आख्या सुनिश्चित कर प्रत्येक 15 दिवस की अवधि में आपदा प्रबन्धन विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

8 राज्य स्तर पर समस्त जन जागरूकता प्रशिक्षण व Mock Drill कार्यक्रमों के समन्वयन व Monitoring (अनुश्रवण) आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण केन्द्र तथा कार्यन्वयन इकाई, तकनीकी सहायता व क्षमता विकास,यूडीआरपी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

9. समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु Standard Training Module, Leaflet, Audio Viddeo CD तथा आपदा प्रबन्धन जागरूकता पत्रिकाओं के प्रारूप को पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, जिसको प्रत्येक जनपद अपने स्तर से प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार छपवाना सुनिश्चित करेंगे। जिसमें आपदा प्रबन्धन विभाग अथवा आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के नाम के स्थान पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का नाम, दूरभाष संख्या, जिलाधिकारी कार्यालय दूरभाष संख्या, आपदा आपदा कन्ट्रोल रूम नम्बर तथा समस्त आपातकालीन नम्बर मुद्रित किये जायेंगे।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र,
जिला–पिथौरागढ
सम्पर्क नम्बर–05964–228050, 226326, 1077, 05964–1077 ईमेल आईडी–ddmapithoragarh@gmail.com